आधी आबादी की सुरक्षा और सम्पूर्ण राष्ट्र के सम्मान को समर्पित

''विश्वास कार्यक्रम''

सृष्टि में प्रत्येक प्राणी की रचना कुदरत की देन है । ऐसे में किसी भी जीव का शोषण प्राकृतिक न्याय विरूद्व है । फिर मानव द्वारा मानव का शोषण नितांत अमानवीय और बर्बरता है । लेकिन पाषणयुग से चलकर तथाकथित विकसित, वैज्ञानिक और सभ्य समाज में मानव के पूज्य अंग नारी के साथ दुराचार को क्या कहें ? क्या जंगल का कोई अन्य जीव मादा प्राणी के साथ ऐसी बर्बरता करता है? यदि नही ंतो जंगली प्राणियों से भी निकृष्ट आचरण वाले पुरूषों को सभ्य समाज में रहने का हक है ? क्या उन्हें मानवाधिकार मिलना चाहिए? ये अधिकार तो शायद मानव के लिए हैं, दानव के लिए नहीं ।

दुनियाँ का कोई भी राष्ट्र तथा समाज सम्पूर्ण मानवशक्ति के न्यायपूर्ण योगदान के बिना तीव्र विकास नहीं कर सकता । नारी शक्ति के बिना तो कदापि नहीं । इसके बावजूद दुनियाँ के हर समाज में नारी पुरूष की हिंसा अथवा भेदभाव की किसी न किसी रूप में शिकार है । नारी सम्मानता के आदर्श के बावजूद उसके सम्मान को लेकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार जारी है । दुनियाँ में मौजूद नारी सम्मान और समानता के उदाहरण गिना कर इस सत्य से मुहँ नहीं मोड़ा जा सकता ।

भारत विश्व गुरू रहा है । शायद प्रकृति के नियमानुसार भारत में भी ज्ञान और सभ्यता का चक्र विपरित दिशा में जा रहा है । अब शायद भारतीय समाज विश्व को अपना गुरू मान बैठा है । इसलिए प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों के ज्ञान का स्थान दुनियां की संचार क्रान्ति के ज्ञान ने ले लिया है । 'यत्र नारी पूज्यंते तत्र रमन्ते देवता' की जगह नारी को भोग की वस्तु मान लिया है । लेकिन पतन की पराकाष्ठा यह है कि आज हम माँ, बहन और बेटी के सम्मान की रक्षा को भी भूल रहे हैं । अन्यथा 2017 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 32500 दुष्कर्म यानि 90 मामले रोजना सामने आने पर भी महिला, दुष्कर्म, पिशाचवृती और हत्याओं के हादसे के दो दिन बाद हम 'भूल कैसे जाते हैं? पुरूष क्रुरता की विभत्स घटनाओं के पीछे अनेक कारण बताकर अपने दायित्व की इतिश्री मान लेते है।

महिला उत्पीड़न के कारणों में जायेगें तो मालूम पड़ता है, संस्कार की बड़ी भूमिका है । कुसंगत के कारण नशासेवन इस रोग का दूसरा कारण है । आर्थिक पिछड़ापन की वजह से रोजी रोटी की तलाश में आने वाले परिवार और समाज से दूर भटक रहे नौजवान ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सबसे आगे हैं । इन्टरनेट पर सहज उपलब्ध अश्लील सामग्री ने आग में घी का काम किया है । वरना आज पड़ौस और परिचित लोगेां द्वारा ऐसे कृकृत्य के लिए कौन जिम्मेवार है । लचर पुलिस और कानून व्यवस्था के चलते समाज में दबंग और भटके हुए लोगों को भय नहीं रहा । नारी सम्मान के प्रति बढ़ती संवेदनहीनता और जटिल न्याय प्रक्रिया आने वाले दिनों की भयावह तस्वीर दिखा रही है ।

परिवार और शिक्षण संस्थाओं में बाल–संस्कार के काम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है । बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना आज जरूरी हो गया । टेलीविजन और मोबाईल पर उपलब्ध अवांछित सामग्री के चलते यह और भी आवश्यक है। शिक्षा पाठयक्रम में यौन शिक्षा के साथ लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्राथमिकता बने । रोजगार के लिए परिवारों से दूर रह रहे युवाओं के लिए कार्यस्थल पर आध्यात्मिक कक्षा नियमित करने की आवश्यकता है । ऐसे नौजवानों की निवास बस्तियों में विशेष योग और आध्यत्मिक शिक्षण केन्द्र बनाये जा सकते हैं । इन्टरनेट पर उपलब्ध पोर्नसाईट पर पूर्ण प्रतिबन्ध से समाज और राष्ट्र को हानि नहीं होगी । इन्टरनेट डाटा मंहगा करने से अनावश्यक दुरूपयोग को निरूत्साहित किया जा सकता है । पुलिस, न्याय अधिकारियों, शिक्षण संस्थाओं को अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है । चिकित्सा सुविधाओं को ऐसी दुर्घटना की स्थिति में निपटने में सक्षम बनाकर दुष्कर्म पीड़िता का जीवन बचाया जा सकता है ।

अब यदि आपको लगता है कि किसी भी महिला के ..... सुरक्षित नहीं होने का वर्तमान समाज में भय है तो यह काम समाज और शासन के हर वर्ग को करना है । क्या हमारे लिए नारी जो एक माँ, बहन अथवा बेटी है, उसक सम्मान से जीने के अधिकार से बड़ा मुद्दा कोई और हो सकता है? यदि नही ंतो आईये मिलकर नारी सम्मान के अभियान 'विश्वास' से जुड़कर सिर उठाकर खुद जीने और महिला को जीने का अधिकार दें ।

''विश्वास कार्यक्रम''

महिला सुरक्षा और सम्मान के इस कार्यक्रम को अंग्रेजी वर्णमाला में विश्वास नाम दिया है जिसका अर्थ नीचे दिया गया है ।

1- V Volunteer
2- I Involvement
3- S Strenthening
4- W Women
5- A Advocarey
6- S Stake-holder

विश्वास कार्यक्रम रणनीति–

प्रथम चरण में हरियाणा, राजस्थान राज्य के उन जिलों में कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं ।

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक स्वयंसेवक तैयार किये जायेंगे जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडिट कोर, भूतपूर्व सैनिक, युवा व्यवसायी और सामाजिक संस्थाओं के युवाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है । स्वयंसेवकों को पुलिस कानूनी प्रक्रियागत प्रारम्भिक जानकारी, संचार तकनीक ज्ञान के साथ महिला दुष्कर्म की घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । प्रत्येक गाँव और शहर के वार्ड स्तर पर पाँच स्वयंसेवक तैयार करना कार्यक्रम का लक्ष्य है। स्वयंसेवकों को विशेष मोबाईल नम्बर और पहचान पत्र जारी किया जायेगा । मोबाईल नम्बर नजदीक के पुलिस स्टेशन, हस्पताल, जिला पुलिस अधीक्षक से जुड़ा होगा ।
2. प्रत्येक जिले में स्वयंसेवक, पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों संस्थाओं, चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ वकीलों की कमेटी बनाई जायेगी जिसकी साल में तीन से चार कार्यशाला आयोजित कर समन्वय तंत्र मजबूत किया जायेगा ।
3. शिक्षण संस्थाओं में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा । पाठ्यक्रम

लागू होने तक स्वयंसेवक शिक्षण संस्थाओं से अलग महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे ।

4. क्षेत्र विशेष के अनुसार आध्यात्मिक एवं योग केन्द्र स्थापित कर युवाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का काम होगा ।

5. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय टीम तैयार की जायेगी जिसमें मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, वकील, डॉक्टर और सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जायेगा । यह स्वयंसेवक दल गाँव, वार्ड स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवकों की कार्यशाला में शामिल होकर अहातन जानकारी देने का काम करेगा । महिला दुष्कर्म अथवा उत्पीड़न की अवस्था में जिला स्तरीय स्वयंसेवक विशेष टीम स्थानीय स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेगी ।

6. महिला सुरक्षा और त्वरित न्याय के लिए विश्वास अभियान के अन्तर्गत कानून निर्माण और क्रियान्वयन तंत्र को संवेदनशील बनाने का काम भी किया जाना अपेक्षित है ।

विश्वास कार्यक्रम का प्रभाव अथवा परिणाम–

1 स्वयंसेवकों की उपस्थिति में महिला अपराध की घटना पर, त्वरित सहायता संभव होगी ।

2 पूर्व परिचितों द्वारा दुस्साहस की कौशिश की स्थिति में स्वयंसेवकों से सहायता लेना आसान होगा ।

3 महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण के पश्चात् सामान्य अवस्था में महिला स्वयं रक्षा करने में सक्षम हो पायेगी ।

4 इन्टरनेट पर अश्लील सामग्री की उपलब्धता के लिए जनजागरण से लाभ होगा।

5 पुलिस और चिकित्सा तंत्र से स्वयंसेवकों के समन्वय से घटना के समय तुरन्त कार्यवाही और न्याय प्रक्रिया समयबद्ध ढ़ग से पूरी करने में सहायता मिलेगी ।

6 आध्यात्मिक एवं योग सेवा केन्द्रों में युवाओं के मानसिक शुद्धिकरण से अपराध प्रवृति पर अंकुश लगाया जा सकता है ।

7 स्थानीय स्वयंसेवक सायं 6:30 से 9:30 बजे तक अपने सुनसान वाले क्षेत्रों में क्रमवार स्वैच्छिक गश्त की व्यवस्था करेंगें ।

8 विश्वास कार्यक्रम के अर्न्तत संगठित अभियान महिला सम्मान के लिए जनमत और वातावरण निर्माण में सहायक होगा ।

<u>हर व्यक्ति का मान, विश्वास अभियान</u>

हर दुष्कर्म पीड़िता से जुड़कर देखें पीड़ा का एहसास हो जायेगा ।

विश्वास कार्यक्रम से जुड़कर इस पीड़ा का निवारण भी आपके हाथ है ।

सम्पर्क– राजेन्द्र 8527638639